न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/217 जिला–नागौर

राधा पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी खोरू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

–––अपीलार्थीया

बनाम

1. हमीदा पत्नी खुदाबक्ष
2. सायरा (सैयद) पत्नी रहीमबक्ष
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

–––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नागौर दिनांक 25–04–2022
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 11/2022
बउनवान हमीदा बनाम राधा

–––

उपस्थित– 1. श्री हरदत्त सहारण अभिभाषक अपीलार्थीया
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–3

निर्णय

दिनांकः– 16–10–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128के तहत प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 713 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा वाके सरहद मौजा बासनी बेलिमा तहसील नागौर में स्थित है। जिसका सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–4–2022 से स्वीकार कर तहसीलदार नागौर को मौका कमिश्नर नियुक्त

कर 500/– फीस निर्धारित कर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश पारित कर दिये। अपीलार्थीया द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 3 व अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष धारा 128 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 713 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि वाके सरहद मौजा बासनी बेलिमा तहसील नागौर की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। अपीलार्थीया राधा का खसरा नम्बर 709 व 712 कुल 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने परिवार वालों के सहयोग से पिछले काफी समय से अपने खेत खसरा नम्बर 712 की दक्षिणी माण्ड को काटकर प्रार्थीगण की खातेदारी की तरफ बढ़ाकर प्राथीगण की खातेदारी भूमि को अपने खेत में दबा रखी है और अपनी मनमर्जी से सीमाएं बढाकर चौरस करें जबकि ऐसा करने का अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिजन को कोई विधिक अधिकार नहीं है भूमि पर नाजायज कब्जा कर दबा ली है आदि मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नाप चौपकर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जावे एवं प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन पड़ौस में अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में दबी हुई है को प्रार्थीगणको दिलवाए जाने के आदेश प्रदान करावे।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीया वर्तमान में विवादित आराजियात की खातेदार काश्तकार ही नहीं है। अपीलार्थीया द्वारा भूमि का विक्रय कर दिया है एवं विक्रय की पालना में व्रिकेता द्वारा कब्जा भी प्राप्त कर लिया है इसलिए रेकार्डेड खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। परन्तु जो रेकार्डेड खातेदार ही नहीं है, के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–4–2022 द्वारा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करने के आदेश पारित कर दिये। जिसकी आड में पटवारी गिरदावर व तहसीलदार द्वारा अनावश्यक रूप से मौके पर उपस्थित होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जबकि वर्तमान में अपीलार्थीया विवादित आराजियात की खातेदार काश्तकार ही नहीं है इसलिए खातेदार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। मूल खातेदार को पक्षकार बनाए बिना पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीया अपनी खातेदारी भूमि जितनी राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी पर ही काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अनावश्यक रूप से हैरान व परेशान करने एवं कम दामों पर

भूमि स्वयं को विक्रय करने बाबत दबाव बनाया गया जब अपीलार्थीया द्वारा मना कर दिया तो अपीलार्थीया को झूठे प्रकरण दर्ज कर एक प्रकार से परेशान किया जा रहा है। अपीलार्थीया अपनी 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद की गई तब से लेकर विक्रय के दिन तक अपीलार्थीया शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी की जमीन पर कब्जा किये काश्त करती चली आ रही है। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–4–2022 नॉन स्पीकिंग आदेश पारत यिका है। अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाये गये उज्र को बिना विवेचन विश्लेषण किये ही विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–4–2022 को निरस्त कर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधीनियम को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–3 तहसीलदार नागौर के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थीया की आराजियात खसरा नम्बर 709 व 712 कुल 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। उसके चिपते ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का खेत खसरा नम्बर 713 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि वाके सरहद मौजा बासनी बेलिना तहसीलदान नागौर में संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात है। अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य खातेदारी आराजियात की सीमाओं को लेकर आपसी विवाद होता रहता है। जिससे विवादित आराजियात की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान कराया जाना आवश्यक होने पर राजस्व रकार्डके अनुसार नाप चौप कर खेत खसरा नम्बर 713 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार नागौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं मौका कमिश्नर फीस 500/– रूपये निर्धारित की जाती है, बाबत आदेश दिनांक 25–4–2022 पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीया की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक एवं तहसीलदार, नागौर के राजकीय अधिवक्ता की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25–4–2022 द्वारा खसरा नम्बर 713 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये है जबकि जिस दिन आदेश पारित किये है उस दिन अपीलार्थीया विवादित आराजियात की खातेदार काश्तकार ही नहीं थी। अपीलार्थीया द्वारा ग्राम बासनी बेलिमा की कांकड में स्थित हक हिस्से की हाल खेताय खसरा नम्बर 709 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 712 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा बारानी–2 को राधा पत्नी भागीरथ ने सांवरमल महरिया पुत्र श्री पोकरमल महरिया जाति जाट निवासी लक्ष्मणगल हाल निवासी सिंगोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर के हक में जरिये रजिस्टर्ड

विक्रय पत्र दिनांक 20–6–2020 को बेचान कर दिया है जिसका उपपंजीयक नागौर के यहां पंजीयन भी हो चुका है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी/सीमांकन करने के आदेश पारित किये है जो विधिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अन्दाज कर विवादित आराजियात के मूल खातेदार को पक्षकार बनाए बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–4–2022 पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–4–2022 विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर